अनुबंध-II

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

<u>संबंधित पक्षकार लेनदेन पर नीति</u>

कंपनी अधिनियम, **2013** और इक्विटी लिस्टिंग एग्रीमेंट ("लिस्टिंग एग्रीमेंट") के संशोधित खण्ड **49** में संबंधित पक्षकार लेनदेनों के मामले में पूरी की जाने वाली व्यापक आवश्यकताएं निर्धारित की गईं हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित लिस्टिंग एग्रीमेंट में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि कंपनी को संबंधित पक्षकार लेनदेनों से संबंधित वस्तुस्थिति के साथ-साथ संबंधित पक्षकार लेनदेनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक नीति तैयार करने की आवश्यकता है । इसलिए, कंपनी ने संबंधित पक्षकार लेनदेनों पर नीति को अपनाया है, जिसमें संबंधित पक्षकार लेन-देनों की पहचान, समीक्षा और अनुमोदन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

प्रयोज्यता

यह नीति पीएफसी और इससे संबंधित पक्षकारों के बीच संबंधित पक्षकार लेनदेन करने के लिए लागू होगी।

कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

नीति कंपनी अधिनियम, 2013 और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के यथालागू प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए तैयार की गई है। कंपनी अधिनियम**, 2013** के यथालागू प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए या इस संबंध में लिस्टिंग एग्रीमेंट में बनाए गए नियमों में बाद में किए गए किसी भी संशोधन / आशोधन को स्वचालित रूप से इस नीति में शामिल किया गया समझा जाएगा ।

परिभाषाएं

क) "**हाथ की दूरी वाले लेन-देन"** से दो संबंधित पक्षों के बीच एक ऐसा लेनदेन अभिप्रेत है जो उनके बीच इस प्रकार से किया जाता है जैसे कि वे एक-दूसरे से असंबद्ध अर्थात संबंधित नहीं थे ताकि उनके बीच हितों की टकराहट न हो ।

ख) "**लेखापरीक्षा समिति"** या **"समिति"** से कंपनी के निदेशक मंडल की "लेखापरीक्षा समिति" अभिप्रेत है ।

ग) "**निदेशक मंडल"** या **"बोर्ड"** से कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय अभिप्रेत है ।

घ) "कंपनी" से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है ।

च) "**भौतिक/वास्तविक संबंधित पक्षकार लेनदेन"**: संबंधित पक्षकार के साथ लेन-देन / लेनदेनों को भैतिक/वास्तविक लेनदेन तभी माना जाएगा यदि वे लेन-देन / लेनदेनों व्यक्तिगत रूप से या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेनों के साथ किया जाता/जाते हैं, कंपनी के नवीनतम उपलब्ध समेकित वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के कम से कम दस प्रतिशत से अधिक है ।

च) "सरकारी कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापरिभाषित रूप में कोई सरकारी कंपनी अभिप्रेत है।

छ) "नीति" से कंपनी के संबंधित पक्षकार लेनदेन विषयक नीति अभिप्रेत है।

ज) "संबंधित पक्षकार" से किसी ऐसा व्यक्ति या निकाय/इकाई अभिप्रेत है:

क. जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) के तहत एक संबंधित पक्षकार है;

या

ख. जो लागू लेखांकन मानकों के तहत एक संबंधित पक्षकार है ।

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की 2 (76) की धारा और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी कंपनी के संदर्भ में संबंधित पक्षकार को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है जैसे-

(i) कोई निर्देशक या उसका रिश्तेदार;

(ii) कोई प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक या उनके रिश्तेदार;

(iii) ऐसी कोई फर्म, जिसमें कोई निदेशक, प्रबंधक या उसके रिश्तेदार एक भागीदार हैं;

(iv) ऐसी कोई निजी कंपनी, जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक या उसके रिश्तेदार एक सदस्य या निदेशक है;

(V) ऐसी कोई सार्वजनिक कंपनी, जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक एक निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उसकी दो प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है;

(Vi) ऐसा कोई निगमित निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निदेश अथवा अनुदेश के अनुसार कार्य करने का आदी/बाध्य है;

(vii) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निदेश अथवा अनुदेश के अनुसार कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदी/बाध्य है;

परन्तु उप-खंड (vi) और (vii) में निहित कोई भी प्रावधान पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निदेश अथवा अनुदेशों के लिए लागू नहीं होंगे;

(viii) कोई भी कंपनी है जो -

(क) ऐसी किसी कंपनी की धारक, सहायक या एसोसिएट कंपनी है; या

(ख) किसी ऐसी धारक कंपनी की एक सहायक कंपनी है जिसकी यह भी एक सहायक कंपनी है;

(ix) यथाविहित कोई अन्य व्यक्ति।

ख. लागू लेखांकन मानकों (एएस) के तहत संबंधित पक्षकार निम्नानुसार हैं:

पक्षकारों को संबंधित होना ऐसी स्थिति में माना जाता है जब यदि समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी समय एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को नियंत्रित या वित्तीय और/अथवा प्रचालन निर्णय करने में अन्य पक्षकार पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालना की क्षमता रखता है।

लेखांकन मानक (एएस) 18 में भी संबंधित पक्षकार के रिश्तों को इस प्रकार बताया गया है:

(क) ऐसे उद्यम, जो एक या एक से अधिक बिचौलियों के जरिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रिपोर्टिंग उद्यम को नियंत्रित करते है, अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होते है, या आम तौर पर उसके सामान्य नियंत्रण में होते हैं (इसमें धारक कंपनियां, सहायक कंपनियां और सहयोगी कंपनियां भी शामिल हैं);

(ख) रिपोर्टिंग उद्यम और निवेशक या उद्यम (वेंचर) के सहयोगी या संयुक्त उद्यम जिसके संबंध में रिपोर्टिंग उद्यम एक एसोसिएट्स अथवा संयुक्त उद्यम;

(ग) व्यक्ति विशेष, जिनका किसी ऐसे रिपोर्टिंग उद्यम के मतदान के अधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हित निहित है, जो उन्हें उस उद्यम और ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष के रिश्तेदारों पर नियंत्रण रखने या महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का अधिकार देता है;

(घ) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक और ऐसे कर्मिकों के रिश्तेदार; और

(ड.) ऐसे उद्यम जिन पर उपर्युक्त (ग) या (घ) में वर्णित किसी भी व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम है । इसमें रिपोर्टिंग उद्यम के निदेशकों या प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्व वाले उद्यम और ऐसे उद्यम शामिल हैं जिनमें प्रमुख प्रबंधन का एक सदस्य ऐसा हो जो रिपोर्टिंग उद्यम में भी सदस्य है।

नोट: *i.अधिक जानकारी के लिए 'संबंधित पक्षकार प्रकटन' एएस-18 देखा जा सकता है ।*

ii. इस संबंध में बाद में जारी किए गए किसी भी संशोधन / घोषणा / लेखांकन मानक / व्याख्या को स्वचालित रूप से इनमें शामिल किया गया समझा जाएगा और उसका संदर्भ लिया जा सकता है।

i) "**संबंधित पक्षकार लेनदेन**": यह इस बात की परवाह किए बिना कि लेनदेन के लिए कोई वसूल किया गया है अथवा नहीं कंपनी और किसी संबंधित पक्षकार के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का हस्तांतरण है और इसमें अन्य बातों के साथ साथ संबंधित पक्षकार के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्थाएं शामिल है:

क. किसी भी माल या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;

ख. किसी भी प्रकार की संपत्ति की बिक्री या अन्यथा उसका निपटान, या खरीद;

ग. किसी भी तरह की संपत्ति को पट्टे पर देना;

घ. किसी भी सेवा का लाभ उठाना या उसका प्रतिपादन करना;

ड. माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति करना;

च. कंपनी, इसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी भी कार्यालय या लाभ की जगह पर इस तरह के संबंधित पक्षकार की नियुक्ति करना; और

छ. कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों या डेरिवेटिव में सदस्यता की हामीदारी (अंडरराइटिंग) करना।

i) किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में "**रिश्तेदारों/संबंधियों**", से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी दूसरे से संबंधित है, यदि -

(i) वे किसी हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;

(ii) वे पति और पत्नी हैं; या

(iii) एक व्यक्ति निम्नलिखित रूप में अन्य व्यक्ति से संबंधित है:

(क) पिता (सौतेले पिता सहित)

(ख) माँ (सौतेली माता सहित)

(ग) पुत्र (सौतेले बेटे सहित)

(घ) बेटे की पत्नी

(ई) बेटी

(च) बेटी का पति

(छ) भाई (सौतेले भाई सहित)

(ज) बहन (सौतेली बहन सहित)

ट) "**लेन-देन**": किसी संबंधित पक्षकार के साथ कोई लेन-देन माना जाएगा जब उसमें कोई एकल लेनदेन या किसी अनुबंध में लेनदेन करने वाला कोई समूह शामिल होगा।

इस नीति में इस्तेमाल किए गए सभी शब्द और अभिव्यक्तियों का जब तक कि यहां अन्यथा परिभाषित न किया गया हो वही अर्थ होगा, जो उनके लिए क्रमश: कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों / जारी की गई अधिसूचनाओं और परिपत्रों, लिस्टिंग एग्रीमेंट और समय समय पर यथासंशोधित लेखांकन मानक (मानकों) में उनके लिए विहित किया गया है।

संबंधित पक्षकार लेनदेनों की समीक्षा और अनुमोदन

लेखापरीक्षा समिति

सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों (बाद में किए गए किसी भी संशोधन सहित) के लिए लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है ।

लेखापरीक्षा समिति, सर्वग्राही अनुमोदन की आवश्यकता और इस बात से अपने आपको संतुष्ट करने के बाद कि इस तरह का अनुमोदन कंपनी के हित में है, ऐसे संबंधित पक्षकार लेनदेनों के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में और हाथ की दूरी के आधार पर पुनरावृत्ति प्रकृति के हैं ।

सर्वग्राही अनुमोदन मंजूरी की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वैध नहीं होगा और एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नए सिरे से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

अनुमोदन में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:

क) संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम)

ख) लेन-देन की प्रकृति

ग) लेन-देन की अवधि

घ) लेन-देन की अधिकतम राशि जिसका लेनदेन किया जा सकता है

ङ) सांकेतिक आधार मूल्य / वर्तमान अनुबंधित कीमत और कीमत में बदलाव के लिए सूत्र, यदि कोई हो

च) लेखापरीक्षा समिति द्वारा उचित समझे जाने पर कोई अन्य शर्त ।

परन्तु यह कि जहां संबंधित पक्षकार लेनदेनों को की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अर्थात जहां इसे पहले से नहीं देखा जा सकता है और उपर्युक्त क) से ड.) में दिए अनुसार पूरे विवरण लागू नहीं होते है, लेखापरीक्षा समिति द्वारा ऐसे लेनदेनों के लिए सर्वग्राही अनुमोदन

प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रति लेन-देन उनका मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा समिति दिए गए प्रत्येक सर्वग्रही अनुमोदन के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्षकार लेन-देनों के विवरणों की कम से कम त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करेगी।

निदेशक मंडल

(क) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में और हाथ की दूरी के आधार पर किए गए संबंधित पक्षकार लेनदेनों को छोड़कर सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के साथ साथ एक विधिवत रूप से बुलाई गई बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) ऐसे संबंधित पक्षकार लेनदेन, जिनके लिए शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता है, को एक विधिवत रूप से बुलाई गई बैठक में बोर्ड के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

शेयरधारक

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उनकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 (3) के तहत निर्धारित निम्नलिखित सीमाओं से परे **सभी वास्तविक संबंधित पक्षकार लेनदेनों** और संबंधित पक्षकार लेनदेनों को एक विशेष संकल्प के माध्यम से पूर्व अनुमोदन के लिए पीएफसी के शेयरधारकों के समक्ष बोर्ड की सिफारिशों के साथ साथ प्रस्तुत किया जाएगा:

(क)	प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी माल या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;	कंपनी के कुल कारोबार के 10% या 100 करोड़ रूपए, जो भी कम हो से अधिक
(ख)	प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा उसका निपटान, या खरीद;	कंपनी के निबल मूल्य के 10% या 100 करोड़ रूपए, जो भी कम हो से अधिक

(ग)	किसी भी तरह की संपत्ति को पट्टे पर देना;	कंपनी के निबल मूल्य का 10% या कंपनी के कुल कारोबार के 10% या 100 करोड़ रूपए, जो भी कम हो से अधिक
(घ)	प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी सेवाओं का लाभ उठाना या उनका प्रतिपादन करना;	कंपनी के कुल कारोबार के 10% या 50 करोड़ रूपए, जो भी कम हो से अधिक
(सीमाएं ऐसे लेनदेनों के लिए और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए लेनदेन के साथ व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में किए जाने वाले लेनदेनों के लिए लागू होंगी)		
(ड.)	कंपनी, इसकी सहायक कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी के किसी कार्यालय अथवा लाभ के स्थान पर इस तरह के संबंधित पक्षकार की नियुक्ति	मासिक पारिश्रमिक 2.5 लाख रूपए से अधिक
(च)	कंपनी की किन्ही प्रतिभूतियों या डेरिवेटिव की सदस्यता (अंशदान) की हामीदारी (अंडरराइटिंग)	कंपनी के निवल मूल्य के 1% से अधिक

(टर्नओवर या निवल मूल्य की संगणना कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी)

संबंधित पक्षकारों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं/निकाय को इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह निकाय/इकाई उस विशेष लेन-देन को करने के लिए एक पक्षकार है या नहीं, मतदान में हिस्सा न लेने की अनुमति लेनी होगी।

प्रकटन

संबंधित इकाइयां तिमाही के दौरान किए गए सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों का तिमाही आधार पर एक सारांश तैयार करेंगी और प्राप्त की गईं अपेक्षित मंजूरी की प्रति के साथ प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर कंपनी सचिव को प्रस्तुत करेंगी।

कंपनी अधिनियम और लिस्टिंग एग्रीमेंट के तहत आवश्यक संबंधित पक्षकार लेनदेन से संबंधित सभी प्रकटन तदनुसार किए जाएंगे।

सीमा

इस नीति और लिस्टिंग एग्रीमेंट / कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य सांविधिक अधिनियमनों, नियमों के प्रावधानों के बीच किसी भी विरोधाभाष की घटना के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम / लिस्टिंग एग्रीमेंट या अन्य सांविधिक अधिनियमन, नियम, जैसा भी मामला हो इस नीति पर मान्य होंगे और सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा तदनुसार उनका पालन किया जाएगा

नीति की समीक्षा

किसी भी सांविधिक अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि में बाद में किए गए किसी भी परिवर्तन, जिसके अंतर्गत नीति में ऐसा कोई प्रावधान किया जाता है, जो उनके अनुरूप नहीं है अर्थात असंगत है, के मामले में सांविधिक अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि के प्रावधान इस नीति पर लागू होंगे।

विनियमों में किसी भी परिवर्तन के कारण अथवा समिति द्वारा उचित महसूस किए जाने पर इस नीति में उन परिवर्तनों को शामिल करने के लिए लेखापरीक्षा समिति द्वारा इस नीति

की समीक्षा की जा सकती है । समिति की सिफारिश के अनुसार नीति में कोई भी परिवर्तन या संशोधन का प्रस्ताव निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

****